न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 94/2024

असगरी बेगम वगै0 ....वादीगण।
बनाम्
नसीम खॉन वगै0...........................प्रतिवादीगण।

आदेश

21-02-2025 वादिनी की हाजिरी है। पुकार पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता वादिनी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 04.05.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते हैं कि टाईपिस्ट की गलती से कुछ शब्द गलती से टाईप हो गया है तथा कुछ शब्द टाईप होना छुट गया है जिससे अर्जी में मरम्मत करना आवश्यक है। उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद की प्रकृति नहीं बदलता है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में कोई प्रतिवादीगण अभी उपस्थित नहीं है तथा उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः वादिनी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 04.05.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक 11.04.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)